न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् उपखण्ड मजिस्टेट बानसूर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या – 37 / 2020
दायरा दिनांक – 14.12.2020
निर्णय दिनांक – 4-1-21

उनवान

1. लक्ष्मण राम जाट पुत्र छीतरमल जाति जाट निवासी बासडी तन ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज. हाल तहसील नारायणपुर जिला– अलवर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय बानसूर बहैसियत लैण्ड हॉल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज. हाल तहसीलदार नारायणपुर तहसील नारायणपुर जिला अलवर राज.

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थित अधिवक्तागणः–
प्रार्थी – श्री बलबीर सिंह शेखावत एड.
अप्रार्थी – पैरोकार सरकार

निर्णय

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश मेरे समक्ष पेश हुयी। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नम्बर 03 रकबा 0.99 हैक्टे., खसरा नम्बर 04 रकबा 01.48 हैक्टे., खसरा नम्बर 69 रकबा 01.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 70 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 71 रकबा 0.49 हैक्टे., खसरा नम्बर 72 रकबा 0.51 हैक्टे., खसरा नम्बर 73 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा नम्बर 78 रकबा 0.25 हैक्टे., खसरा नम्बर 79 रकबा 0.24 हैक्टे., खसरा नम्बर 80 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 89 रकबा 0.80 हैक्टे., खसरा नम्बर 90 रकबा 0.76 हैक्टे., खसरा नम्बर 35 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नम्बर 85 रकबा 02.49 हैक्टेयर वाके मौजा बासडी तन ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर [illegible] तहसील नारायणपुर जिला अलवर की आराजी है। जो प्रार्थनापत्र में वि[illegible] है। प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों के द्वारा विरासत का इन्तकाल दर्ज करते समय गांव में बोलता नाम कहीं पर लच्छा व कहीं पर लच्छू एवं [illegible] का नाम कहीं पर छीता व कहीं पर छीतर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज जैसे कि पहचान–पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड आदि में सही नाम

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.23 10:23:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लक्ष्मण राम पुत्र छीतर मल दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लच्छू, लच्छा पिसरान छीता, छीतर के स्थान पर लक्ष्मण राम पुत्र छीतर मल दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजीका किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार नारायणपुर ने अपना जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो मिन अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है एवं श्रीमान के आदेश अनुसार पालना की जावेगी।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं अध्ययन किया। वकील प्रार्थी की बहस मौखिक पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पहचान–पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्वयं के शपथ–पत्र एवं सहखातेदारान व प्रार्थी के सगे भाईयों मूला पुत्र छीतरमल, पूरण पुत्र छीतरमल, अमीलाल पुत्र छीतरमल के शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थी व उनके पिता का सही नाम लक्ष्मण राम पुत्र छीतर मल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 0.01 हैक्टे., खसरा नम्बर 03 रकबा 0.99 हैक्टे., खसरा नम्बर 04 रकबा 01.48 हैक्टे., खसरा नम्बर 69 रकबा 01.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 70 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 71 रकबा 0.49 हैक्टे., खसरा नम्बर 72 रकबा 0.51 हैक्टे., खसरा नम्बर 73 रकबा 0.21 हैक्टे., खसरा नम्बर 78 रकबा 0.25 हैक्टे., खसरा नम्बर 79 रकबा 0.24 हैक्टे., खसरा नम्बर 80 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नम्बर 89 रकबा 0.80 हैक्टे., खसरा नम्बर 90 रकबा 0.76 हैक्टे., खसरा नम्बर 35 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नम्बर 85 रकबा 02.49 हैक्टेयर वाके मौजा बासडी तन ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज. हाल तहसील नारायणपुर जिला अलवर की आराजी में दर्ज खातेदार लच्छू, लच्छा पिसरान छीता, छीतर के स्थान पर लक्ष्मण राम पुत्र छीतर मल दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राजात यथावत रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.23 10:23:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बानसूर (अलवर) राज.

आज दिनांक 4-1-21 को यह आदेश ... द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बानसूर (अलवर) राज.

Scanned with CamScanner